

ऋण और बंधक अनुबंध

1. यह मुख्य अनुबंध ("अनुबंध") पुनर्भुगतान अनुसूची में वर्णित ऋणगृहीता और सह- ऋणगृहीता नामक प्रत्येक व्यक्ति, जिनका मामले के अनुसार निवास या कार्य-स्थल वहाँ दर्शाए गए स्थान के अनुसार है ("ऋणगृहीता") और इसके साथ ही, दी लागे लादेन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनीज अधिनियम 2013 के नियमों के तहत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 20/F, टावर A, पेनिनसुलाबिज़नेसपार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में है और एक शाखा कार्यालय दिल्ली ("ऋणदाता") में है, के बीच निष्पादित की गई है. ऋणगृहीता "आप" या "आपका" और ऋणदाता "हम" या "हमारा" से संबोधित किये जाएंगे. ऋणदाता और ऋणगृहीता आगे अकेले होने पर "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्षों" से संबोधित किये जाएंगे. ऋणदाता उनके ऋण उत्पाद ग्राहकोंको अपने व्यावसायिक नाम ("एस्कोट क्रेडिट") जो उनको एस्कोट लिमिटेड कंपनीने प्रदान किया है, जिसका पंजीकृत कार्यस्थल SC0232 पहली मंज़िल, सेक्टर 20, पांचकला 134109 पर स्थित है, से उपलब्ध करता है. आपने हमें अनुबंध में शामिल नियमों और शर्तों पर आपको ऋण देने हेतु अनुरोध किया है. सभी पक्ष सहमत हैं कि यह अनुबंध सामान्य नियम और शर्तें तय करता है, और पक्षों के बीच बाध्यताकारी अनुबंध तब स्थापित होगा जब ऋणदाता द्वारा पुनर्भुगतान सारिणी पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे फलस्वरूप ऋणदाता द्वारा ऋण प्रदान किये जाने का ऋणगृहीता का अनुरोध (जो कि परिचायक संविदा को शामिल करेगा किन्तु केवल उसी तक सीमित नहीं होगा) स्वीकृत किया जाएगा. परिचायक संविदा में निहित ऋणगृहीता द्वारा हस्ताक्षरित व्यावसायिक शर्तें, ऋणगृहीता द्वारा किये गए अनुरोध(धों), प्रस्ताव(वों), चाहे लिखित हों या मौखिक, के आधार पर बदली जा सकती हैं. यदि ऋणगृहीता व्यावसायिक शर्तों के संशोधन हेतु अनुवर्ती अनुरोध करता है, तो ऋणदाता ऐसी संशोधित व्यावसायिक शर्तों की पुष्टि ऋणगृहीता से करेगा, जो कि पुनर्भुगतान सारिणी के रूप में अंतिम प्रकार दिए जाने के पहले मौखिक पुष्टिकरण का रूप ले सकती है. पुनर्भुगतान सारिणी और परिचायक संविदा या आवेदन पत्र सहित, किन्तु केवल इस तक सीमित नहीं, किसी अन्य दस्तावेज के बीच असंगति होने की स्थिति में, पुनर्भुगतान सारिणी अंतिम होगी और पक्षों पर बंधनकारी होगी. बावजूद इसके कि इस अनुबंध में कोई भी असंगत बात निहित नहीं है, इस अनुबंध के तहत ऋणगृहीता के दायित्वों के अनुसार ऋणगृहीता और सह- ऋणगृहीता सम्मिलित और अलग-अलग रूप से ऋणदाता के प्रति उत्तरदायी होंगे.
2. हमआपकोवहराशिप्रदानकरनेहेतुऔरआपहमसेऋणलेनेहेतुसहमतहैं, जो पुनर्भुगतान सारिणी ("सुविधा") में ("आरम्भ दिनांक") से छः(6) कैलेंडर सप्ताहों की उपलब्धता अवधि के दौरान निर्दिष्ट सीमाओं तक हैं. आरंभ दिनांक अर्थात सुविधा के तहत ऋण के आरंभ का दिनांक जैसा कि ऋणदाता के निर्णय अनुसार पुनर्भुगतान सारिणी में निर्दिष्ट है, जो कि स्वीकृति प्रमाण-पत्र(नीचे बताए अनुसार) के पूर्व नहीं है. "उपकरण" को पुनर्भुगतान सारिणी में वर्णित किया जाएगा और जिसमें, सीमारहित रूप से, सभी घटक हिस्से और सहायक सामग्री, इसके अतिरिक्त होने वाली भावी वृद्धि और इसके बदले जाने वाले हिस्से, और साथ-ही-साथ अनुबंध के अनुसार इसके सभी सॉफ्टवेयर और सभी सेवा और देखभाल, होंगे. उपकरण के अर्थ में सभी उपकरण, मशीनरी, औजार, घटक हिस्से और सहायक सामग्री (जिनमें इसके अतिरिक्त होने वाली भावी वृद्धि और इसके बदले जाने वाले हिस्से, और साथ-ही-साथ अनुबंध के अनुसार इसके सभी सॉफ्टवेयर और सभी सेवा और देखभाल) यह सभी सम्मिलित हैं जो कि भविष्य में ऋणगृहीता द्वारा /ऋणदाता से प्रदायित ऋण(ऋणों) द्वारा, निर्माता, विक्रेता, वितरक, पुनर्विक्रेता या प्रदायक ("विक्रेता") से सुपुर्दगी पाने के बाद, खरीदे जाएंगे. "स्वीकृति प्रमाण-पत्र" अर्थात

- ऋणगृहीता द्वारा प्रमाण-पत्र/स्वीकृति जो कि ऋणगृहीता द्वारा हस्ताक्षरित परिचायक संविदा (नीचे बताए अनुसार) में सम्मिलित है, जिसमें कि ऋणगृहीता कहता है कि उपकरण प्राप्त कर लिया गया है और यह कि वह उचित स्थिति में है और आदेशित विनिर्देशों के अनुसार है, या कि विक्रेता से उपकरण की सुपुर्दगी पाने के बाद उपकरण के निरीक्षण के अधिकार का त्याग करता है और उपकरण को शर्तहित स्वीकार करने पर सहमत है, जिस प्रमाण-पत्र की सामग्री और रूप ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा और ऋणदाता के स्वत्वाधिकार पर किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है. "परिचायक संविदा" अर्थात वह दस्तावेज जिसमें ऋणगृहीता के ऋण आवेदन की व्यावसायिक शर्तें निहित हैं. भविष्य में होने वाले के प्रति पक्षपात के बिना, आपको इस अनुबंध की शर्तें मानने हेतु निम्नलिखित में किसी एक या अधिक घटनाओं के होने की स्थिति में अन्तर्निहित व्यवहार द्वारा राजी होना चाहिए: (a) ऋणगृहीता द्वारा उपनियम 1 में तय की गई व्यावसायिक शर्तों की मौखिक पुष्टि, इसके पहले कि यह व्यावसायिक शर्तें पुनर्भुगतान सारिणी के रूप में अंतिम तय हो जाएँ; (b) पुनर्भुगतान सारिणी या इसके किसी हिस्से में तय किये अनुसार ऋणगृहीता द्वारा या उसके हस्ते भुगतान और/या वसूली; (c) अनुबंध के अनुसार स्टाम्प शुल्क, कानूनी शुल्क और अन्य कोई लागत, प्रभार और/या व्यय की वसूली; (d) ऋणदाता के सुरक्षा हित का अभिलेखन जो उपकरण इनवॉइस(सों) पर प्रथम, विशिष्ट और नियत प्रभार के अनुमोदन के तरीके द्वारा सम्मिलित है; (e) उपनियम 24 की शर्तों के अनुसार बंधक संपत्तियों से सम्बंधित पंजीकरण प्रमाण-पत्र(पत्रों) पर ऋणदाता के सुरक्षा हित का अनुमोदन; (f) पुनर्भुगतान सारिणी के अनुसार ऋणदाता को एक या अधिक पुनर्भुगतान किस्तों का भुगतान. बशर्ते कि परिचायक निविदा में ऋणगृहीता द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, ऋणदाता उस विक्रेता से, जिससे ऋणगृहीता ने उपकरण खरीदा है या खरीदने की इच्छा रखता है, स्टाम्प शुल्क, कानूनी शुल्क और/या अन्य शुल्क, लागत, प्रभारों और/या व्यय के एक हिस्से या पूर्ण की वसूली कर सकता है.
3. ऋणगृहीता सुविधा से प्राप्त लाभ को उपकरण की खरीद के लिए उपयोग करेगा और परिचायक संविदा या पुनर्भुगतान सारिणी में उल्लेख अनुसार उन्हें उपकरण के और/या ऋणगृहीता के जीवन, स्वास्थ्य और/या सेहत के बीमा के प्रीमियम पर खर्च कर सकेगा. ऋणदाता सुविधा के अंत उपयोग की जाँच नहीं करेगा. ऋणगृहीता उद्देश्य हेतु किए गए उपयोग का प्रमाण स्वयं अपनी लागत पर ऋणदाता को उसकी संतुष्टि के लिए प्रदान करेगा.
 4. सुविधा के तहत ऋणदाता कोई अग्रिम राशि नहीं देगा जब तक कि ऋणदाता को उसके द्वारा मांगा गया प्रत्येक दस्तावेज और ऋणगृहीता द्वारा पूर्ववर्ती परिस्थिति के तौर पर किया गया कार्य जो ऋणदाता द्वारा चाहे गए रूप में हो ("पूर्ववर्ती परिस्थिति"). आप इस अनुबंध के निष्पादन के दिनांक को या उसके पहले ऋणदाता को पुनर्भुगतान सारिणी में तय किया गया "प्रक्रिया शुल्क" चुकाएंगे, जो कि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा. बशर्ते कि ऋणगृहीता द्वारा परिचायक संविदा में ऐसा प्राधिकृत किया गया हो, ऋणदाता प्रक्रिया शुल्क राशि(यों) की वसूली उस विक्रेता से कर सकता है जिससे ऋणगृहीता ने उपकरण खरीदा हो या खरीदने का विचार रखता हो.
 5. पूर्ववर्ती परिस्थिति के पूर्ण होने के अनुसार सुविधा या उसका एक हिस्सा अग्रवर्ती किया जा सकता है या लिया जा सकता है. ऋणदाता सुविधा के तहत (बीमा प्रीमियम की राशि(यां), यदि हों तो, उनके अलावा) सीधे विक्रेता को भुगतान कर सकेगा ना कि ऋणगृहीता को. ऋणदाता अपने स्वत्वाधिकार और अतिरिक्त स्थितियों, यदि हों, की पूर्ति ऋणगृहीता द्वारा किये जाने के अनुसार

- सुविधा राशि या उसका एक हिस्सा, ऋणगृहीता को भुगतान करने का चयन कर सकता है. "ऋण" अर्थात ऊपर कहे अनुसार सुविधा का कोई भी अग्रवर्ती या अदा किया हुआ भाग.
6. ऋणगृहीता, (i) सुविधा (यदि कोई हो) का वह भाग जो इस अनुबंध के अनुसार निरस्त किया जा चुका है या घटा दिया गया है और (ii) इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऐसे दिनांक को बकाया सभी (यदि कोई हों) ऋणों के मूलधन की कुल राशि ("उपलब्ध प्रतिबद्धता"), या उसका कोई हिस्सा जो सुविधा का 25%(पच्चीस प्रतिशत) हो या उस राशि का पूर्ण गुणक हो, उपलब्धता अवधि के समाप्त होने के पहले किसी भी समय 14 व्यावसायिक दिनों की पूर्व लिखित सूचना के साथ, सुविधा की राशि निरस्त कर सकता है. इस अनुबंध में, "व्यावसायिक दिन" अर्थात (शनिवार और रविवार के अलावा) वह दिन जब मुंबई, भारत में बैंकें कार्य के लिए खुली हों. ऐसा निरस्तीकरण प्रभावी नहीं होगा यदि ऋणगृहीता इसके प्रभावी होने के दिनांक या उसके पहले ऋणदाता को, उस निरस्तीकरण की राशि के एक प्रतिशत (1%) निरस्तीकरण शुल्क का भुगतान कर दे. उपलब्ध प्रतिबद्धता का कोई भी हिस्सा उपलब्धता अवधि के समाप्ति के समय उपयोगरहित या अनाहरित रह जाने की स्थिति में उपलब्धता अवधि की समाप्ति पर स्वयमेव निरस्त हो जाएगा (जब तक कि ऋणदाता के स्वत्वाधिकार के अनुसार उपलब्धता अवधि को आगे ना बढ़ा दिया गया हो), और इसपर उपयोगरहित उपलब्ध प्रतिबद्धता के एक प्रतिशत (1%) का निरस्तीकरण शुल्क अपने आप बकाया होगा और ऋणगृहीता द्वारा देय होगा.
 7. इस अनुबंध में अन्यत्र प्रदान किये अनुसार, पुनर्भुगतान सारिणी के अनुसार ऋण और इसके अतिरिक्त लागू किया गया ब्याज, ऋणगृहीता द्वारा पूर्ण भुगतान किया जाएगा. ऋणगृहीता सुविधा के पुनर्भुगतान किये जा चुके किसी भी हिस्से को फिर से ऋण की तरह नहीं ले सकेगा.
 8. पिछले आरंभिक दिनांक से एक (1) वर्ष की समाप्ति और कम-से-कम 14 व्यावसायिक दिनों के पूर्व लिखित नोटिस के बाद, ऋणगृहीता किसी भी पुनर्भुगतान दिनांक पर, सुविधा पर बकाया कुल राशि का पूर्ण (आंशिक या हिस्सा नहीं) भुगतान साथ-ही-साथ पूर्वभुगतान की तरह कर सकता है, जिसके साथ सुविधा के कुल 4% (चार प्रतिशत) का पूर्वभुगतान प्रीमियम, कोई धन राशि, या अन्य लागत, हानि, ऋणगृहीता को पूर्वभुगतान के परिणाम से या उस कारण उत्पन्न होने से लगने वाला व्यय या देयता और इस अनुबंध के तहत बकाया कोई और राशि, इन सभी के साथ, देय होगा. ऋणदाता, ऋणगृहीता के अनुरोध पर उसे पूर्वभुगतान पत्र जारी करेगा जिसके लिए प्रति पूर्वभुगतान पत्र पर 500/- रु, (पाँच सौ रुपये केवल) का शुल्क देय होगा. ऋणदाता अपने स्वत्वाधिकार के तहत, ऋणगृहीता द्वारा पूर्ण सुविधा का पूर्वभुगतान किये जाने पर, किसी एक घटना में, कहे गए शुल्क को (लागू करों का शेष, यदि हों, इसके बाद) लौटाने/वापस देने का चयन कर सकता है. ऊपर कहे अनुसार सुविधा के पूर्वभुगतान पर, सुविधा की पूर्ण बकाया राशि से अधिक, हमारे द्वारा स्वीकृत 500/- रु, (पाँच सौ रुपये केवल) तक की राशि(यां), आपको नहीं भी लौटाई जा सकती हैं और हम उसे अपनी आय की तरह ले सकते हैं.
 9. ब्याजकी देयता पुनर्भुगतान सारिणी में तय दर ("ब्याज दर") पर होगी जो आरम्भिक दिनांक से अंतिम पुनर्भुगतान दिनांक तक, उस दिनांक को हो जब, ऋण(ऋणों) के पुनर्भुगतान की योजना के अनुसार ("पुनर्भुगतान सारिणी") पुनर्भुगतान किस्त बकाया हो, जो कि ऋणदाता द्वारा लिखित में (पत्र, फैंक्स, ई-मेल या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप) ऋणगृहीता को दी जाए जिसमें सम्बद्ध पुनर्भुगतान दिनाकों पर "पुनर्भुगतान किस्त" की राशियाँ निहित हों. सम्बद्ध पुनर्भुगतान दिनाकों पर भुगतान की जाने वाली पुनर्भुगतान किस्तों की अधिसूचना आपको ऋणदाता द्वारा पुनर्भुगतान

सारिणी हस्ताक्षरित किये जाने के दिनांक से 14 व्यावसायिक दिनों के भीतर मिल जाएगी. ऋणदाता द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान किस्तों की राशियाँ और सम्बद्ध पुनर्भुगतान दिनांक निर्णायक होंगे और आपके ऊपर बंधनकारी होंगे. बशर्ते कि ऋणगृहीता द्वारा परिचायक संविदा में ऐसा प्राधिकृत किया गया हो, ऋणदाता सम्बद्ध अग्रिम राशि(यों) और/या पुनर्भुगतान किस्त(तों) की वसूली उस विक्रेता से कर सकता है जिससे ऋणगृहीता ने उपकरण खरीदा हो या खरीदने का विचार रखता हो. "पूर्व-आरंभ ब्याज" अर्थात ऋणदाता द्वारा पुनर्भुगतान सारिणी हस्ताक्षरित किये जाने के दिनांक से, प्रयोजनीय पुनर्भुगतान सारिणी में तय किये गए आरम्भ के दिनांक तक की अवधि के लिए ऋण(ऋणों) पर लागू ब्याज दरों से लगने वाला ब्याज. पूर्व-आरंभ ब्याजका भुगतान ऋण की अवधि के दौरान ऋणगृहीता द्वारा किया जाएगा.

10. हालाँकि इस अनुबंध में निहित किसी भी चीज के विपरीत, अपवाद परिस्थितियों में, जो केवल हमारे मत द्वारा निर्णीत की जाएंगी, हम 15 दिनों का नोटिस देकर, ब्याज दर को बढ़ाने और पुनर्भुगतान सारिणी को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.
11. इस अनुबंध के तहत आपके द्वारा हमें भुगतान की जाने वाली सभी राशियाँ किसी भी बंधन, स्थिति, किसी भी कर हेतु या उसके कारण कटौती (या रोकना), या मुआवजे के रूप में, प्रतिदावे या अन्य से मुक्त और निर्बाधित करके दी जाएंगी. आप मानते हैं और सहमत हैं कि करों के उद्देश्यों हेतु इस अनुबंध के उचित उपचार के निर्धारण की एकमात्र जिम्मेदारी आपकी है.
12. यदि किसी भी समय इस अनुबंध के तहत हमारे अन्य दायित्वों में सभी या किसी भी को पूर्ण करने में यह हमारे लिए गैरकानूनी या लागू कानूनों के विरुद्ध हो या हो सकता हो, तो यह अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा और आप हमारे बताए अनुसार सुविधा का पूर्वभुगतान करेंगे.
13. ऋणगृहीता सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा और ऋणदाता द्वारा चाहे तरीके से करेगा, ऋणदाता के दिल्ली के बैंक खाते में करेगा जैसा कि हमारे द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाएगा जो कि ऋणदाता के स्वत्वाधिकार के अनुसार ऋणगृहीता को एक(1) कैलेंडर दिन के नोटिस पर सूचित होगा, जो इस अनुबंध के तहत भुगतान योग्य किसी भी राशि को ऋणदाता के दिल्ली के बाहर रखे गए एक या अधिक बैंक खाते/खातों में जमा करना होगा. हमारे अनुरोध पर आप तुरंत अपने बैंकर(रों) को इस अनुबंध के तहत पुनर्भुगतान करने का निर्देश देंगे जो किसी भी माध्यम जिसमें ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सम्मिलित है, और जो हमारे द्वारा समय-समय पर चाहे गए प्रकार और रूप में हो, से किया जा सकता है. प्रत्येक भुगतान निर्देश या उपकरण की वापस होने की स्थिति में आप हमें रु. 500/- (पाँच सौ रुपये केवल) का प्रभार देंगे. यदि आपने कोई भुगतान या पुनर्भुगतान ऋणदाता के नामित बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं किया हो, तो इस अनुबंध के तहत किये गए प्रत्येक भुगतान/पुनर्भुगतान के लिए आपको ऋणदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि से लिखित रसीद या प्राप्ति स्वीकृति मिलेगी.
14. यदि पुनर्भुगतान का दिनांक किसी गैर-व्यावसायिक दिन पर आता है तो इसे पूर्व कार्यदिवस पर समझा जाएगा.
15. ऋणदाता अपने स्वत्वाधिकार के अनुसार, किसी प्रकार से उचित, ऐसे भुगतान को बकाया, यदि कोई हो, ऋणगृहीता के साथ अनुबंध या उसकी ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में ऋणगृहीता द्वारा भुगतान योग्य राशि को जमा कर सकता है.
16. आप प्रस्तुत करते और विश्वास दिलाते हैं कि (i) आपके पास इस अनुबंध को करने की और यहाँ दिए प्रावधानों के अनुपालन और प्रदर्शन की शक्ति है और अपने ऐसा करने हेतु सभी आवश्यक

कदम उठा लिए हैं; (ii) आपको अधिग्रहण सम्बन्धित कोई नोटिस नहीं मिला है; (iii) आपने किसी भी लागू कानून (जहाँ ऋणगृहीता शामिल है, आपके संवैधानिक दस्तावेजों) या अनुबंध जहाँ पर आप एक पक्ष थे, का उल्लंघन नहीं किया है; (iv) आप दीवालिया या अपने ऋण चुकाने में अक्षम नहीं हैं और आपको इस सम्बन्ध में कोई नोटिस नहीं मिला है; (v) आपके द्वारा हमें प्रदान की गई सभी जानकारियाँ सत्य हैं और किसी प्रकार से गुमराह करने वाली नहीं हैं; (vi) आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही, वाद या कानूनी प्रक्रिया लंबित नहीं है; (vii) आपके पास बंधक संपत्तियों (अन्यत्र समझाई गई) का सम्पूर्ण स्वामित्व है, जो कि प्रभार, ग्रहण, ट्रस्ट या अन्य भागों से मुक्त हैं, या होंगे और मुक्त ही बनी रहेंगी; (viii) कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसका विपरीत प्रभाव: (a) उपकरण; (b) वित्तीय स्थिति, संपत्तियाँ, देयताओं, परिसंपत्तियाँ, परिचालन के परिणामों, स्थितियों (वित्तीय या अन्य), ऋणगृहीता की संभावनाओं और व्यवसाय पर; या (c) सुविधा या उसमें ऋणदाता के अधिकारों और उपचारों से सम्बंधित किसी भी अनुबंध की वैधता या लागू किये जाने की योग्यता ("पदार्थ का विपरीत प्रभाव"), इन सभी पर हुआ हो; और (ix) आप किसी भी प्रकार के कानूनी बकाया और किसी भी सरकारी प्राधिकरण को दिए जाने वाले करों से सम्बंधित ना चुकाने वाले व्यक्तियों में नहीं हैं.

17. आप अपनी वित्तीय स्थिति या व्यवसाय या उपकरण से सम्बन्धित किसी भी जानकारी को तुरंत हमें भेजेंगे जिसकी हमें समय-समय पर वाकई जरूरत होगी.
18. आप यह नहीं करेंगे (i) उपकरण का विक्रय, हस्तांतरण, उप-पट्टा, उप-किराया, ऋण या किसी अन्य प्रकार से निपटान, (ii) उपकरण पर किसी भी सुरक्षा हित को बनाए रखने हेतु निर्मिति या अनुमति को अटकाना; (iii) उपकरण को किसी परिसर में इस तरह स्थापित कर देना कि वह उस परिसर का ही हिस्सा लगे, (iv) उपकरण में किसी भी परिवर्तन या बदलाव करना या उसकी अनुमति देना, और/या, (v) बगैर पूर्व लिखित अनुमति के, पुनर्भुगतान सारिणी के अनुसार उपकरण की स्थिति को ऋणगृहीता के पते से बदलना.
19. आप अग्रंकित के बारे में हमें तुरंत सूचित करने (i) किसी भी प्राधिकरण या लागू कानून में किसी भी प्रकार उल्लंघन या कथित उल्लंघन जिसके बारे में आपको पता लगे; और/या (ii) चूक की किसी घटना का होना.
20. अनुबंध की पूरी वैधता अवधि के दौरान आप बंधक संपत्तियों को अपने खर्च पर बिक्री योग्य अच्छी स्थिति में रखेंगे और सभी जोखिमों के विरुद्ध हमारी संतुष्टि अनुसार पूर्ण और समेकित रूप से बीमित रखेंगे. आप इस प्रकार के बीमे हेतु सभी लागू बीमा प्रीमियम समय रहते भरेंगे और हमें सम्बंधित दस्तावेज देंगे. यद्यपि सुविधा के प्राप्त लाभ अनुबंध के उपनियम 3 के अनुसार किसी भी बीमा प्रीमियम हेतु दिए जा सकते हैं, आप एतद्वारा सहमत होते हैं, स्वीकार करते हैं और उत्तरदायित्व लेते हैं कि यह हमेशा केवल आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप बंधक संपत्तियों को ऊपर कहे अनुसार पूरी तरह बीमित रखें जिसमें, ऊपर कहे अनुसार उन अवधियों जब अपने बीमा प्रीमियम को वित्तपोषित करवाया के अतिरिक्त, अन्य सभी समयावधियां सम्मिलित हैं किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं. अग्रगामी के लिए पक्षपात बिना और आपके द्वारा ऐसा बीमा नहीं प्राप्त करने की स्थिति में, हमें यह अधिकार (किन्तु दायित्व नहीं) होगा कि हम अपनी लागत पर बीमा प्राप्त करें या आपकी तरफ से आपके वकील के रूप में आवश्यक बीमा कवर प्राप्त करें और ऐसी सभी लागत आपके द्वारा, मांगे जाने पर, चुकाई जाएंगी इसके साथ ही बीमा की ऐसी प्रत्येक घटना या प्रत्येक नवीनीकरण हेतु रु. 7500/- (सात हजार पाँच सौ मात्र) सहयोग राशि हमें प्रदाय होगी. यदि

सुविधा का कोई भी हिस्सा बीमा प्रीमियम चुकाने में जा रहा है, तो आप इसके माध्यम से हमें अपरिवर्तनीय रूप से अपना वकील नियुक्त करें ताकि कहे गए वार्षिक, समयबद्ध या विशेष प्रीमियम राशियों का आंशिक या पूर्ण भुगतान किया जा सके जैसा कि ऋणगृहीता के बीमाकर्ता के नियम(मों) या कोई अन्य बीमा एजेंट या मध्यस्थ या तृतीय पक्ष के लिए पुनर्भुगतान सारिणी में निर्दिष्ट किया गया है, ऋणगृहीता द्वारा भली प्रकार से खोजे गए, अनुरोध(थों) की प्राप्ति पर, जिनमें ऋणगृहीता द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र शामिल हैं और राशि चुकाने से चूकने की किसी घटना के होने पर, (i) हमारे स्वत्वाधिकार पर सम्बंधित बीमा पालिसी(यों) का निरस्तीकरण, समाप्त ना हुई बीमा पालिसी(यों) की अवधियों से सम्बंधित के प्रीमियम की वापसी राशि की प्राप्ति और इसके साथ उपनियम 15 के अनुसार प्रीमियम राशि का उचित उपयोग; या (iii) हमारे स्वत्व निर्णयानुसार बीमा पालिसीयों का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण.

21. इसके अधीन निर्मित सुरक्षा हित एक जारी रहने वाली सुरक्षा होगी और तब तक पूर्ण प्रवाह और प्रभाव में रहेगी जब तक कि सुविधा के तहत भुगतान योग्य सभी बकाया राशि का हमारी संतुष्टि के अनुसार भुगतान नहीं हो जाता. दिवालिया होने या किसी अन्य कारण से आपकी देयता प्रभावित, क्षीण या खारिज नहीं होगी. "सुरक्षा हित" अर्थात कोई गिरवी, रहन, बंधक, समर्पण-पत्र, जमा व्यवस्था, ऋणभार, दावा (कानूनी या अन्य), नकारात्मक रहन या दावा, वरीयता, प्राथमिकता या किसी अन्य प्रकार या प्रकृति का सुरक्षा अनुबंध जो भी हो जिसमें बिना सीमा के सम्मिलित हैं (i) कोई शर्त आधारित विक्रय या स्वत्वाधिकार धारण करने वाले अनुबंध, कोई वित्तीय या तदनु रूप पत्रक या नोटिस जो कि किसी अभिलेखन या संविधि के तहत दर्ज किया गया हो, और कोई पट्टा जिसके मूलतः प्रभाव पूर्वगामी किसी की तरह हों, और (ii) किसी भी बीमा अनुबंध के तहत हानि प्राप्तकर्ता या लाभार्थी या इसी प्रकार की व्यवस्था का पदनाम.

ऋणगृहीता बिना शर्त के ऋणदाता को अपना वकील नियुक्त करता है और पूर्ण शक्ति प्रदान करता है ताकि ऋणगृहीता के नाम पर या उसकी तरफ से अन्यत्र प्रतिस्थापन या हस्ताक्षर, मुद्रांकन, निष्पादन, सुपुर्दगी, समाप्ति और वे सभी दस्तावेज, विलेख, उपकरण, कार्य और वस्तुएँ पूर्ण करें जो कि आवश्यक या वांछित हैं या जो ऋणदाता के अनुसार अग्रलिखित के लिए उचित या सुविधापूर्ण हैं (a) इसके अधीन निर्मित किये गए या तथाकथित रूप से निर्मित किये जाने वाले सुरक्षा हित को प्रभावी और निपुण करने हेतु लागू कानून के तहत सम्बंधित वाहन पंजीकरण प्राधिकारी की पंजीकरण पुस्तिका में सुरक्षा हित को पंजीकृत करने को शामिल करके किन्तु इसी तक सीमित नहीं, (b) इस अनुबंध के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन, सुपुर्दगी और प्रदर्शन हेतु, (c) इसके माध्यम से ऋणदाता को प्रदत्त अधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों जिसमें इस अनुबंध के आधार पर निर्मित सुरक्षा हित को लागू कराने का अधिकार सम्मिलित है, (d) ऋणदाता पर इसके अधीन लगाए गए किसी दायित्व को पूर्ण करने या इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की शक्तियों का उपयोग करने हेतु जो कि बंधक रखी गई संपत्तियों की बिक्री या किसी हिस्से के प्रबन्ध या इसके किसी अधिकारों का प्रयोग या ऋणदाता को इसके साथ निर्मित सुरक्षा हित का पूर्ण लाभ देने हेतु ताकि इसके द्वारा की गई नियुक्ति ऋणदाता को यह अधिकार प्रदत्त करे कि वह ऋणगृहीता की तरफ से कुछ भी कर सके जो कि एक वकील के तौर पर कानूनी रूप से किया जा सकता है. ऋणगृहीता इसके द्वारा ऐसे वकील या प्रतिस्थापित व्यक्ति द्वारा किये जा सकने वाले किसी भी विलेख, उपकरण, कार्य या बात की अभिपुष्टि करता है और अभिपुष्टि करने तथा प्रमाणित करने हेतु सहमत है.

22. ऋणदाता और उसके द्वारा नियुक्त प्रत्येक वकील, प्रबंधक, एजेंट या अन्य व्यक्ति इनके द्वारा किये गए सभी देयताओं और व्ययों के विषय में ऋणदाता को प्रभारित/प्रभारित की जाने वाली बंधक संपत्तियों में से क्षतिपूर्ति करने का अधिकारी होगा.
23. सुविधा के बदले में ऋणगृहीता, पुनर्भुगतान सारिणी में वर्णित उपकरण ("बंधक रखी गई संपत्तियाँ") प्रथम, विशिष्ट और नियत प्रभार के रूप में बंधक रखता है और ऋणदाता के पक्ष में सौंपता है.
24. आप वे सभी जरूरी आवेदन-पत्र, दस्तावेज और विलेख हस्ताक्षरित और निष्पादित करेंगे जो, ऋणदाता के पक्ष में निर्मित, उपकरण पर बंधकीकरण द्वारा प्रथम, विशिष्ट और नियत प्रभार को दर्ज करने हेतु अभिलेखन करवाने के लिए जरूरी होंगे.
25. सुरक्षा हित लागू कर दिए जाने के बाद किसी भी समय ऋणदाता अपने एकमात्र अधिकार पर एक रिसीवर की या स्वयं की नियुक्ति अग्रलिखित हेतु कर सकता है (a) बंधकीकृत संपत्तियों के किसी या सभी हिस्से का कब्जा लेने हेतु; (b) ऋणदाता के व्यवसाय को प्रबंधित या जारी रखने या जारी रखने में सम्मिलित होने हेतु; (c) कोई व्यवस्था या समझौता करने हेतु; (d) बंधकीकृत संपत्तियों को बेचने, संभालने या प्रबंधित करने या अन्य प्रकार से निपटान हेतु सौंपने, बेचने, पट्टे पर देने, लाइसेंस पर देने, अनुदानित करने के विकल्पों हेतु; (e) बंधकीकृत संपत्तियों से सम्बंधित सभी गतिविधियों और प्रक्रियाओं को लाने, अभियोगित करने, लागू करने, बचाव करने और जारी ना रखने हेतु; (f) उन सभी अन्य शक्तियों या अधिकारों का व्यवहार करना जिन्हें ऋणदाता बंधकीकृत संपत्तियों के सम्बन्ध में प्रदान करने हेतु उचित समझता है. रिसीवर, जहाँ भी नियुक्त हुआ हो, ऋणदाता के निर्देशों पर कार्य करेगा. ऋणदाता रिसीवर का पारिश्रमिक तय करेगा जो ऋणगृहीता को चुकाना होगा. रिसीवर लागू कानून के तहत उसे प्राप्त सभी अधिकारों का उपयोग कर सकता है. रिसीवर ऋणगृहीता का एजेंट होगा और रिसीवर की लापरवाही या दुर्व्यवहार हेतु ऋणदाता किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं होगा.
26. सभी बंधकीकृत संपत्तियाँ, विक्रय से हुई प्राप्तियाँ, और बंधकीकृत संपत्तियों से सम्बन्धित बीमा से प्राप्त लाभ ऋणदाता की संपत्ति होंगे. ऋणगृहीता बंधकीकृत संपत्तियों का पूर्ण विवरण, जब भी जरूरी हो, ऋणदाता को देगा जो कि ऋणदाता की संतुष्टि के रूप और प्रकार में होगा.
27. हमारे द्वारा निर्धारित किये अनुसार ऋण ना चुकाने की घटना होने पर, निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं: (i) बकाया या भुगतान योग्य होने पर आप कोई मूलधन या ब्याज राशि नहीं देंगे, (ii) आप किसी प्रतिनिधित्व, जमानत, अनुबंध, वचन या इस अनुबंध के शर्त के उल्लंघन में हैं; (iii) आपकी या आपसे सम्बद्ध लोगों का कोई अन्य ऋण बकाया हो गया है और प्राकृतिक रूप से परिपक्व होने के पहले भुगतान योग्य है; (iv) आप दीवालिया हो गए हैं या अपना बकाया चुकाने में असमर्थ हैं; (v) आपकी संपत्तियों के सभी या किसी जरूरी हिस्से के सम्बन्ध में परिसमापक की नियुक्ति; (vi) आपकी संपत्तियों पर कोई सुरक्षा लागू करने योग्य नहीं है; (vii) उपकरण संकट में है, या क्षतिग्रस्त है या ऋणगृहीता ने उसे नष्ट कर दिया है; (viii) आप अपने पूर्ण व्यवसाय या उसके किसी मजबूत हिस्से को बंद करने वाले हैं या ऐसा करने के इरादे का नोटिस दे चुके हैं; (ix) आपके लिए इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करना गैरकानूनी या अवैध है; (x) अपनी संपत्तियों पर इस अनुबंध के अनुसार बीमा जारी रखने में असफल हैं; (xi) यह अनुबंध किसी कारण से मान्य या बाध्यकारी नहीं है; या (xii) पदार्थ विपरीत प्रभाव का होना, हम ये कर सकते हैं: (a) हम आपको एक (1) दिन का नोटिस देकर, सभी राशियों को बकाया और तुरंत भुगतान योग्य घोषित कर सकते हैं; (b) ऋणदाता की प्रक्रिया हेतु अभियोग चला सकते हैं और/या बंधकीकृत

- संपत्तियों के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं; (c) सुविधा से आगामी निकासी लंबित कर सकते हैं और सुविधा के निकासीरहित हिस्सों को निरस्त घोषित कर सकते हैं; (d) बंधकीकृत संपत्तियों में प्रवेश और उनका कब्जा ले सकते हैं और बंधकीकृत संपत्तियों का विक्रय, सौंपना, हस्तांतरण या अन्य प्रकार से निपटान जिसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ऐसी किसी भी बिक्री या परिसमापन के लाभों को प्राप्त करना; (e) किसी भी व्यक्ति को निर्देश देना, जो कि सीधे हमें भुगतान देने हेतु, आपको कोई भी भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है; (f) बलपूर्वक उपकरण पर कब्जा; या (g) लागू कानून के तहत हमें उपलब्ध कोई भी क्रिया या उपचार करना.
28. यद्यपि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 151 के तहत ऋणदाता या उसके अधिकारी, एजेंट्स या नामांतरित जन, उपकरण में हुई किसी भी हानि, क्षति, सीमितता या हास के लिए, जबकि वह ऋणदाता, उसके अधिकारियों, एजेंटों के कब्जे में हो या उन्हें उपलब्ध अधिकारों शक्तियों या उपचारों के प्रयोग करने या ना करने के कारण किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे और ऐसा सभी नुकसान, क्षति, सीमितता या हास ऋणगृहीता के खाते में होगा.
29. भुगतान ना किये जाने की स्थिति में (जिसमें अनुबंध के तहत किसी भी पुनर्भुगतान किस्त, लागत, प्रभार, व्यय या धनराशि को चुकाने की असफलता, जबकि उसका भुगतान समय आ गया हो या अनुबंध के अनुसार ऋणदाता द्वारा पहले से मांगी जा रही हो, जो भी पहले हो) आप, ना चुकाई गई राशि पर चूकी गई इस अवधि के लिए **भुगतान चूक ब्याज 30% प्रतिवर्ष दर से**, अदा करेंगे. भुगतान चूक ब्याज मांगे जाने पर देय होगा और चूक दर पर हमारे द्वारा गणना योग्य होगा, और ना मांगे जाने की स्थिति में पुनर्भुगतान सारिणी के अनुसार तुरंत आने वाली आगामी पुनर्भुगतान दिनांक पर भुगतान योग्य होगा.
30. आप एतदद्वारा हमें किसी निधिकरण या अन्य लागत, हानि, व्यय या देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति कर रहे हैं जो हमारे द्वारा अग्रलिखित के परिणामस्वरूप लगातार धारण की गई या व्यय की गई है: (a) ऋणगृहीता द्वारा किसी भी स्थिति के चलते अपूर्ण रह जाने वाला ऋण; (b) किसी भी प्रतिनिधित्व और जमानत, प्रतिज्ञा में कोई अधूरापन, चूक, उल्लंघन या अशुद्धि या अनुबंध में कोई मुद्दा, शर्त या घटना जो कि ऐसी किसी भी जमानत को झूठा, अपूर्ण, या अशुद्ध बनाती है; (c) ऋणदाता द्वारा पूरा ऋण या उसके किसी हिस्से या एक बकाया राशि की प्राप्ति या वसूली; (d) भुगतान चूकने की किसी घटना का होना या जारी रहना या ऐसे कोई बड़ी घटना; या (e) उपकरण में किसी दोष के कारण ऋणदाता द्वारा सही गई कोई भी दावा, हानि, क्षति.
31. हम इस अनुबंध या कोई अन्य अनुबंधों या किसी दायित्व के विरुद्ध हमारे द्वारा आपको बकाया ऋणग्रस्तता के तहत आपका दायित्व छोड़ सकते हैं.
32. चाहे इस अनुबंध के तहत कोई ऋण अग्रवर्ती हो या ना हो, ऋणगृहीता, इस अनुबंध से सम्बंधित हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागत और व्यय मांगे जाने पर चुकाएगा.
33. सभी ब्याज (भुगतान चूकने के ब्याज सहित) दिन-प्रतिदिन जमा होते जाएंगे और 365 या (लीप वर्ष में) 366 दिनों के वर्ष के आधार पर वर्ष के वास्तविक बीत चुके दिनों के अनुसार गणना योग्य होंगे. इस प्रकार गणना की गई राशि रूपए के निकटतम पूर्णांक तक समंजित कर दी जाएगी. ऋणदाता अपने बैंक खाते में जमा हुई धनराशि के वास्तविक दिनांक पर ऋणगृहीता के ऋण खाते में राशि जमा दर्शाएगा जब तक कि अनुबंध की शर्त अनुसार ऐसा जमा अपने बकाया दिनांक के पहले प्राप्त ना हो गया हो, ऐसी स्थिति में, अपने बकाया दिनांक से पहले प्राप्त हुई राशि ऋणगृहीता के ऋण खाते में उनके आगामी बकाया दिनांक(कों) पर जमा बताई जाएगी. ऋणदाता द्वारा

ऋणगृहीता के ऋण खाते में दर्ज की गई प्रविष्टियाँ ऋणगृहीता के दायित्व के अस्तित्व और विस्तार का प्रथम दृष्टया प्रमाण होंगी. ऋणदाता द्वारा जारी किया प्रमाण-पत्र कि ऋणगृहीता को अनुबंध के तहत कोई राशि भुगतान करनी है, त्रुटि प्रकाशन हेतु निर्णायक होगा.

34. हमारे द्वारा ग्राहकों को ऋण दिए जाने, जोखिम का वर्गीकरण करने और ग्राहकों से ली जाने वाली ब्याज दर पर लिए गए निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर निर्दिष्ट किये गए हैं, जिनमें अग्रांकित में एक या अधिक कारक सम्मिलित किया गया है: वित्तपोषित की जाने वाली संपत्ति का प्रकार और उसका अभिलषित अंत-प्रयोग, ग्राहक का विवरण और पुनर्भुगतान क्षमता, पुनर्भुगतान का पिछला इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड, नकदी का बहाव और अन्य वित्तीय देनदारी, उपलब्ध सुरक्षा, ऋण वृद्धि, ऋण और उसे ना चुका पाने का समाहित जोखिम, धनराशि की लागत, किसी भी तरह का उपलब्ध वित्तीय सहारा, ब्याज पर छूट या कमी, परिचालन/प्रबंधन लागत, लाभ और जोखिम हेतु प्रीमियम, ऋण की अवधि या समय, ग्राहक की भौगोलिक स्थिति, हमारी प्रतिस्पर्धी स्थिति आदि. उपरोक्त जानकारी ग्राहकों द्वारा प्रदाय सूचनाओं, की गई जाँचों और सत्यापन द्वारा, तथा अन्य स्रोतों या स्वतंत्र तृतीय पक्षों जैसे कि क्रेडिट ब्यूरो आदि के द्वारा एकत्रित किये गए आँकड़ों के आधार पर समानुक्रमित किया गया है. ऋण मूल्यांकन हमारी आन्तरिक ऋण नीति और पद्धति पर आधारित होगा.

ब्याज दर का निर्धारण पूरी तरह ऋणदाता अधिकार में होगा और तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन योग्य होगा. इसके साथ ही यह संभव है कि समान उत्पाद और अवधि / काल हेतु दो ग्राहकों की ब्याज दर, एक ही समय पर, अलग-अलग हो सकती है. ग्राहक से वार्षिक रूप से ली जाने वाली ब्याज दर अनुबंध की हस्ताक्षरित प्रति द्वारा ग्राहक को प्रदर्शित की जाएगी. इस बाजारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी दबाव के साथ ही ऋणगृहिताओं के लिए उपलब्ध वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं को चुनने का अधिकार ऋणगृहिताओं से अधिक ब्याज दर लेने के विरुद्ध स्वाभाविक सुरक्षा प्रदान करता है. ऋणगृहिता सहमत है कि उसने ब्याज दर लेने की पद्धति और जोखिम के वर्गीकरण हेतु ऋणदाता का तरीका, जो कि www.dllgroup.com/in पर प्रकाशित है और जिसका समय-समय पर अपडेट और पुनरावलोकन किया जाएगा, को पढ़ और समझ लिया है.

35. आप इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों को पूर्णतः या उनके किसी हिस्से की सुपुर्दगी, हस्तांतरण या प्रतिस्थापन नहीं करेंगे. हम इस अनुबंध के तहत बगैर आपकी स्वीकृति के अपने अधिकारों को पूर्णतः या कुछ हिस्से में सुपुर्द या हमारे दायित्वों (यदि कोई हों) को पूर्णतः या कुछ हिस्से में हस्तांतरित या प्रतिस्थापित कर सकते हैं.
36. आप सहमत हैं कि आपने www.dllgroup.com/in पर प्रकाशित DLL का गोपनीयता पत्रक, जिसका समय-समय पर अपडेट और पुनरावलोकन किया जाएगा, को पढ़ और समझ लिया है.
37. DLL के ऋण प्रदाता, वित्तीय और पट्टे पर देने वाले व्यवसाय हेतु हम आपकी जानकारी ("जानकारी") का एकत्रीकरण, प्रयोग, देखभाल, भण्डारण, प्रचार-प्रसार और निपटान करेंगे (जिसमें अग्रलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, आपसे, इस अनुबंध या हमसे आपके द्वारा प्राप्त/या प्राप्त की जाने वाली कोई अन्य ऋण सुविधा सम्बंधित जानकारी, इस अनुबंध के तहत आपके द्वारा चूका गया भुगतान, यदि कोई हो, साथ-ही-साथ संवेदनशील व्यक्तिगत आँकड़े और जानकारी जिसमें ऋणगृहीता की उँगलियों की छाप, आँखों के रेटिना और पुतलियों से सम्बंधित बायोमेट्रिक जानकारी है). जानकारीयों तृतीय पक्ष द्वारा प्राप्त की जाएंगी और इनके साथ साझा की जाएंगी जिनमें बाह्य सेवा प्रदातागण; डी लेज लादे इंटरनेशनल बी.वी., और/या इसकी अनुषंगी और सम्बद्ध

कम्पनियों, जिनमें राबोबैंक ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के तहत आने वाली संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं (जिन्हें सम्मिलित रूप से "DLL" कहा जाता है), क्रेडिट ब्यूरो, केंद्रीय KYC पंजीयक(कों); इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के सन्दर्भ में सूचना उपयोग(उपयोगियों); व्यवसायी और विक्रय भागीदारों; कोई शासकीय अधिकारी; हमारे लेखा परीक्षकों या कानूनी सलाहकारों; न्यायालयों, पुलिस, भारत के भीतर और बाहर स्थित नियामक संस्थाओं और एजेंसियों; और जानकारी प्रस्करण हेतु या इसके अतिरिक्त DLL द्वारा आवश्यक समझे जाने पर भारत के बाहर भेजी जा सकती है. आप एतदद्वारा हमें अपरिवर्तनीय रूप से, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र ("DSC") आवेदन-पत्र, कुंजी रचना, प्रमाण-पत्र जारी करना, हस्ताक्षर रचना, कुंजी नष्ट करना, आधार e-KYC सत्यापन प्रतिक्रिया पर आधारित आवेदन-पत्र रचना, DSC आवेदन-पत्र जमा करना और प्रत्येक ई-हस्ताक्षर हेतु हस्ताक्षर रचना करना आदि सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, को प्राप्त करने के लिए, किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल हस्ताक्षर ("eSign") सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आपकी इलेक्ट्रॉनिक 'अपना ग्राहक पहचानिए' ("e-KYC") जानकारी का प्रयोग करने की स्वीकृति देते हैं.

38. DLL जानकारी का अग्रलिखित उपयोग करेगी, लेकिन यह केवल इसी तक सीमित नहीं होगा; ऋण सत्यापन करने, DLL के वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने और उन्हें सुधारने, DLL के अनुबंध प्रबंधन और ग्राहक सम्बन्ध प्रबंधन व्यवस्था में सम्मिलित करने जिसमें वित्तीय सहायता समझौतों की निष्पत्ति/क्रियान्वयन, लागू कानूनों के अनुसार चलने, धोखाधड़ी और मुद्रा अपवचन की रोकथाम, ग्राहक के साथ DLL का व्यापारिक रिश्ता बनाए रखना और उसे आगे बढ़ाना, जैसे कि सीधे विपणन आदि के द्वारा, और बाजार का शोध करना, शामिल हैं. DLL या उसके प्राधिकृत तृतीय पक्ष आवेदक को टेलीफोन, पोस्ट द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, शार्ट-मेसेज-सर्विस (SMS), इलेक्ट्रॉनिक चित्र या लिखित सन्देश या अन्य किसी माध्यम से, संपर्क कर सकते हैं. DLL जानकारी का प्रयोग वित्तीय उत्पादों को प्रकाशित करने, सौंपने और सुरक्षित रखने, अन्य वित्तीय कम्पनियों को या धन एकत्रीकरण में भी कर सकेगा.
39. आप एतदद्वारा हमें अपरिवर्तनीय सहमति और अनुमति देते हैं कि हम अपने स्वत्वाधिकार के तहत समय-समय पर इस अनुबंध से सम्बंधित आपके भुगतान, पुनर्भुगतान और सामान्य व्यवहार से सम्बंधित प्रकटीकरण, रिपोर्ट, जानकारी और नवीनतम स्थिति तथा परिवर्तनों को अपने द्वारा उचित पाए जाने वाली संस्थाओं को प्रदान कर सकते हैं जैसे क्रेडिट ब्यूरो, रिपोर्टिंग एजेंसी, नियामक, नियमनकर्ता, कानूनी, अर्ध-विनियामक, अर्च-कानूनी या औद्योगिक निकाय. आप एतदद्वारा सहमत हैं कि हमारे द्वारा किये गए प्रकटीकरण के परिणाम से आपके द्वारा वहन किये गए किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, निष्कर्ष, हानि, नुकसान या लागत या व्यय हेतु आप, हमें किसी भी तरीके से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे.
40. ऐसी स्थिति में जबकि आपने गैर-जीवन/सामान्य और/या जीवन, स्वास्थ्य और/या सेहत बीमा और/या मध्यस्थता किये गए बीमा उत्पाद और/या अन्यत्र खरीदे गए या व्यवस्था किये गए या हमारे द्वारा उपलब्ध सम्बंधित उत्पाद चुनने का निर्णय किया है, आप एतदद्वारा हमारी आय, इस प्रकार की बीमा पालिसियों के सन्दर्भ में, लागू कानून द्वारा अनुमत या जारी की हुई, बीमा एजेंसी कमीशन या अन्य प्रकारों द्वारा और/या बीमाकर्ता व्यक्ति(यों) और/या अन्य मध्यस्थों या व्यक्तियों के किसी शुल्क, लागत या प्रभारों की वापसी द्वारा मानते और सहमति अभिव्यक्त करते हैं.

41. आप एतदद्वारा स्वीकृत करते हैं कि कुछ ऋणदाताओं द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ऋण दरें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित दरों से बहुत अधिक हैं और यह कि ऋणदाता को उसकी वित्तीय लागत, शुल्क, प्रभारों और व्ययों का पूर्ण या हिस्सों में मुआवजा, ब्याज दर में छूट / अन्तरीय ब्याज, विलंबित भुगतान सुविधा या इन सभी का सम्मिलित रूप से मिलेगा, जो कि विक्रेता और/या तृतीय पक्ष द्वारा प्रस्तावित की गई है। आप एतदद्वारा ऐसी किसी व्यवस्था के लिए अपनी अनापत्ति की पुष्टि करते हैं और सहमति व्यक्त करते हैं, और पुष्टि करते हैं तथा सहमत हैं कि ऋणदाता आपको ऐसी किसी व्यवस्था के विवरण/जानकारी की सलाह नहीं दे सकता और यह कि आप ऐसी व्यवस्था से किसी भी प्रकार से सम्बंधित नहीं हैं।
42. इस अनुबंध के तहत समय-समय पर किया जाने वाला प्रत्येक सम्वाद फैंक्स द्वारा किया जाएगा या प्रत्येक पक्ष द्वारा दिए गए पते पर लिखित में भेजा जाएगा। आपके द्वारा कोई भी संवाद अपरिवर्तनीय होना चाहिए और हमारे द्वारा प्राप्त कर लिये जाने तक प्रभावी नहीं होना चाहिए।
43. इस अनुबंध के किसी प्रावधान का अवैध, गैरकानूनी या लागू किये जाने योग्य ना होना किसी अन्य अधिकार-क्षेत्र में इसकी और साथ ही इसके किसी अन्य प्रावधान की वैधता, मान्यता और लागू किये जाने की योग्यता को प्रभावित नहीं करेगा।
44. पक्षों के बीच का यह अनुबंध सिद्धांत से सिद्धांत पर आधारित है और इस अनुबंध में निहित कुछ भी उनके या हमारे बीच नियोक्ता-कर्मचारी या प्रधान-एजेंट का सम्बन्ध निर्मित नहीं करेगा और ना ही कोई आपका भागीदार, कर्मचारी, अधिकारी, स्टाफ सदस्य, एजेंट या प्रतिनिधि होगा।
45. कोई व्यक्ति जो इस अनुबंध का हिस्सा नहीं है, उसे अनुबंध के तहत किसी भी शर्त को लागू करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
46. यह अनुबंध और इसमें यत्र-तत्र उल्लिखित शेष अन्य दस्तावेज यहाँ पर सम्बंधित विषय-वस्तु से सम्बंधित पक्षों के बीच पूरे अनुबंध को निर्मित करते हैं और यह पूर्व में हुए किसी भी अनुबंध या इस विषयवस्तु से सम्बंधित समझ से वरीयता पर है।
47. इस अनुबंध के तहत ऋणदाता की तरफ से किसी अधिकार या उपचार का प्रयोग ना किया जाना या विलम्ब से किया जाना इसके साथ किसी स्वत्व त्याग की तरह कार्य नहीं करेगा ना ही किसी अधिकार या उपचार का एक बार या आंशिक प्रयोग इसके अन्य या अगले प्रयोग को रोकेगा। इस अनुबंध में दिए गए अधिकार और उपचार निर्णायक हैं और किन्हीं अन्य अधिकारों या उपचारों से विशिष्ट नहीं हैं।
48. इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान केवल तब संशोधित या पूरित किया जाएगा जब सभी पक्ष ऐसा करने हेतु लिखित में सहमति देंगे और इस अनुबंध के तहत भुगतान चूकने की कोई घटना, या बड़ी घटना या उल्लंघन इसके होने के पहले या बाद में त्यागा जा सकता है बशर्ते ऋणदाता ऐसा करने हेतु लिखित में सहमति दे। इस अनुबंध के किसी प्रावधान के तहत ऋणदाता की कोई स्वीकृति भी लिखित में होनी चाहिए।
49. ऋणगृहीता की बेहतर समझ की सुविधा हेतु ऋणदाता इस अनुबंध को एक से अधिक स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित कर सकता है। अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के प्रारूपों के बीच किसी प्रकार का विवाद या अंतर उत्पन्न होने की स्थिति में, पक्षों के मध्य बाध्यकारी अनुबंध के लिए संवाद और अर्थ हेतु विभिन्न पक्षों और न्यायालयों द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रारूप स्वीकृत होगा। ऋणगृहीता का लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर ऋणदाता बंधनकारक अंग्रेजी प्रारूप की एक प्रति प्रदान करेगा।
50. यह अनुबंध कानूनी सिद्धांतों की किसी पसंद के बगैर भारत के कानूनों से शासित होगी। सभी विवाद, अंतर और/या दावे इसे प्रस्तुत, स्पर्श या किसी भी प्रकार से सम्बंधित या निर्माण, अर्थ या प्रभाव के

समान या पक्षों के अधिकारों और देयताओं के समान, मध्यस्थता के द्वारा सुलझाए जाएँ, जो आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के प्रावधानों के अनुसार या समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधनों या संसद द्वारा निर्मित कोई अन्य या अगला अधिनियम जो कि मध्यस्थता कार्यवाही के सम्बन्ध में अभिनीत हो, के द्वारा हो. उपरोक्त कही गई मध्यस्थता कार्यवाही, ऋणदाता द्वारा अपने स्वत्वाधिकार से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा की जाए. एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले इस तरह से नामित/नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु, अस्वीकृति, नकारे जाना, अक्षमता या असमर्थता की स्थिति में, ऋणदाता अपने पूर्ण स्वत्वाधिकार के तहत इस भूमिका को निभाने के लिए नए व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है. मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हो. मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और सभी सम्बंधित पक्षों पर बंधनकारी होगा. मध्यस्थता कार्यवाही की लागत मध्यस्थता निर्णय में निर्दिष्ट पक्ष(पक्षों) द्वारा वहन किया जाए. मध्यस्थता कार्यवाही ऋणदाता के पूर्ण स्वत्वाधिकार के तहत दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या मुंबई में होगी. इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या उससे सम्बंधित किसी भी प्रकार के विवादों के निपटान हेतु, ऋणदाता के पूर्ण स्वत्वाधिकार के तहत, केवल दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या मुंबई के न्यायालय इसका अधिकार-क्षेत्र होंगे और जमानतदार को अपरिवर्तनीय रूप से इन न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में आना होगा. ऋणदाता अपने पूर्ण स्वत्वाधिकार के तहत जमानतदार के विरुद्ध, प्रधान ऋणगृहीता या इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति या पक्ष के सम्मिलन बिना, उपरोक्त कार्यवाही या वाद(वादों)में कोई भी करने और/या जारी रखने के लिए योग्य होगा.

यह अनुबंध इनकी गवाही में पुनर्भुगतान सारिणी के दिनांक को दर्ज किया गया.

ऋणगृहीता	हस्ताक्षर
ऋणगृहीता का नाम:	
पता:	
सह-जमानतदार का नाम:	
पता:	

दिनांक: _____, 20__

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि इसके पहले कि ऋणगृहीता और सभी सह-ऋणगृहीता(ओं) यह सिद्ध करने के लिए अपना निशान/अंगूठे की छाप दें, कि उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैंने इस परिचायक संविदा की सामग्री मौखिक रूप से उन्हें उनकी स्थानीय भाषा में समझा दी है.

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

कर्मचारी क्रमांक:

LOAN AND HYPOTHECATION AGREEMENT - AMENDMENT

1. This refers to the master Loan and Hypothecation Agreement dated _____ (“**Agreement**”) entered into between De Lage Landen Financial Services India Private Limited (“**Lender**”) and _____ (“**Borrower**”) (hereinafter collectively referred to as “**Parties**”). All terms defined in the Agreement have the same meaning in this Amendment (“**Amendment**”).
2. Pursuant to the relevant enabling clause of the Agreement, the Parties hereby agree to the following amendment to the Agreement.
- i. References to fees, charges shall hereby be respectively replaced and superseded and new fees, charges hereby introduced as noted in the table below:

Sr. no	Fee / charge	Rate (applicable tax shall be payable over and above the below fee / charge)
1.	Processing fee	up to 2% of Facility amount
2.	Doorstep payment collection fee	INR 250/- per doorstep visit for collecting any payment / repayment
3.	Dishonour of payment instrument / instruction	INR 500/- per cheque dishonour and INR 75/- per instance of dishonour of ECS or ACH mandate
4.	Issuing a Statement of Account (SOA)	INR 200/- per SOA
5.	Issuing a balance confirmation statement	INR 100/- per instance from the second instance onwards
6.	Per copy of Repayment Schedule	INR 250/-
7.	Change in Repayment Date among alternatives made available by the Lender without any change in the Interest Rate or Loan term	INR 500/- per change
8.	Issuing a prepayment quote	INR 100/- per prepayment quote
9.	Prepayment fee	4% of the Loan amount prepaid plus other costs, loss, expense or liability sustained or incurred by the Lender arising from the prepayment
10.	No dues / No objection certificate / confirmation	INR 500/- per certificate / confirmation from the second instance onwards
11.	Providing a copy of the Borrower’s credit bureau report if available with the Lender	INR 100/- per copy provided

The Lender hereby reserves the right to levy new fees, charges, costs etc., and to revise existing fees and charges prospectively after publishing them on its webpage www.dllgroup.com/in.

3. This Amendment is governed by and shall be construed in accordance with Indian law.
4. It is agreed and declared that the provisions of the Agreement shall prevail save to the extent specifically amended or modified by this Amendment and it is expressly reiterated that the same shall, save to the extent as amended and modified, continue to operate in all respects.


(B-2, CB-2)

5. This Amendment shall form an integral part of the Agreement and shall be read along with the Agreement and all terms shall apply *mutatis mutandis* to this Amendment. All references in the Agreement to "this Agreement" shall include the reference to this Amendment wherever the context so requires. Further, references to the Agreement in any other documents shall include reference to the Agreement as amended by this Amendment.

IN WITNESS WHEREOF this Amendment has been entered into on _____.

Borrower

Co-Borrower

Signature: _____ 


Signature: _____ 

Name: _____

Name: _____

Co-Borrower

Co-Borrower

Signature: _____ 

Signature: _____ 

Name: _____

Name: _____

The Lender

For De Lage Landen Financial Services India Private Limited

Signature: _____ 

Name: _____

Title: _____

I hereby confirm that I have explained the contents of this Amendment verbally to the Borrower and all Co-Borrower(s) in their local language before they put their mark/thumbprint to signify that they have signed this Amendment.

Signature: _____ 

Name: _____

Title: _____

Employee Number: _____

(B-1, CB-1, FSO-1)